न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/125/2025	2025/123	09.04.2025	17.04.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) टहला, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी घाटडा तहसील टहला, जिला अलवर।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

तहसीलदार टहला ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम घाटडा तहसील टहला, जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 644 रकबा 5.18 है0 में से 1.25 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टहला द्वारा तामील में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी नवल किशोर पुत्र मूलचन्द कुम्हार सा. घाटडा घर पर मौजूद मिला। गवाहों के समक्ष तामील लेने हेतु मना किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ के आदेश क्रमांक/एल.आर/आवंटन/2021—22/4329 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम—15) से श्री नवल किशोर पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम घाटडा पंचायत टोडा जयसिंहपुरा तहसील टहला को हाल खसरा नम्बर 644 रकबा 5.18 है0 में से 1.25 है० भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 919 स्वीकृति दिनांक 10.06.2022 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जिसका नवीन खसरा नम्बर 1705/644 रकबा 1.25 है०, राजस्व रिकॉर्ड में कायम हुआ। उक्त खसरा नम्बर 644 के साबिक खसरा नम्बर 698 किस्म बंजड दोयम (सम्वत 2020) साबिक खरारा नम्बर 291 किस्म बजड कदीम (सम्वत 2012) हैं।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आवेदक नवल किशोर पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी घाटडा को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ के आदेश कमांक/एल—आर/आवंटन/2021—22/4233 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम—15) से आराजी खसरा नंबर 256/026 20 किस्म चाही—1 में से 0.26 है0 व 285/0.18 किस्म चाही—1 में से 0.18 है० आवंटित हुई थी। जिसे प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को छूपाया गया है तथा आवंटन कमेटी द्वारा भी एक ही व्यक्ति के पक्ष में एक से अधिक बार भूमि आवंटन की गई। किये गये आवंटन में कमेंटी द्वारा वन विभाग,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

सिंचाई विभाग व खनिज विभाग से आपति/अनापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं है व बैठक कार्यवाही विवरण पर भी हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन हेतु पटवारी रिपोर्ट में अब्दुल रहमान से सबंधित है या नहीं का अंकन नहीं है। प्रकरण में वर्णित आराजी किटिकल टाईगर हेबीटाट वन क्षेत्रों से लगती हुई है। ग्राम घाटडा उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का क्षेत्र में आता है। पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 के अनुसार आराजी मौके पर खाली है। आवंटी का कब्जा नहीं है। उक्त आवंटन के साथ किये गये सभी आवंटन पूर्व में ही नियमों की पालना न किये जाने के कारण निरस्त किये जा चुके है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश क्रमांक/एल.आर/आवंटन/2021–22/4329 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम–15) से श्री नवल किशोर पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम घाटडा पंचायत टोडा जयसिंहपुरा तहसील टहला को हाल खसरा नम्बर 644 रकबा 5.18 है0 में से 1.25 है० भूमि आवंटित की गयी। जिसका नामान्तकरण संख्या 919 स्वीकृति दिनांक 10.06.2022 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिसका नवीन खसरा नम्बर 1705/644 रकबा 1.25 है०, राजस्व रिकॉर्ड में कायम हुआ। आवेदक नवल किशोर पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी घाटडा को उक्त आवंटन से पूर्व भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश कमांक/एल–आर/आवंटन/2021–22/4233 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम–15) से आराजी खसरा नंबर 256/026 20 किस्म चाही–1 में से 0.26 है0 व 285/0.18 किस्म चाही–1 में से 0.18 है० आवंटित हुई थी। जिसे प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को छूपाया गया है तथा आवंटन कमेटी द्वारा बिना जांच किए एक ही व्यक्ति के पक्ष में एक से अधिक बार भूमि आवंटन की गयी। उक्त किये गये आवंटन में आवंटन कमेटी द्वारा वन विभाग, सिंचाई विभाग व खनिज विभाग से आपति/अनापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं है व बैठक कार्यवाही विवरण पर भी हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन कमेटी की सिफारिश में आवंटन कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। आवंटन हेतु पटवारी रिपोर्ट में अब्दुल रहमान से सबंधित है या नहीं का अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थी के अनुसार प्रकरण में वर्णित आराजी किटिकल टाईगर हेबीटाट वन क्षेत्रों से लगती हुई है। ग्राम घाटडा उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का क्षेत्र में आता है। पटवारी हल्का टोडा जयसिंहपुरा मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 के अनुसार आराजी मौके पर खाली है तथा वर्तमान में आवंटी का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 03.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अप्रार्थी नवल किशोर पुत्र मूलचन्द कुम्हार सा. घाटडा तहसील टहला जिला अलवर को आवंटित की गई उक्त हाल खसरा नम्बर 644 रकबा 5.18 है0 में से 1.25 है० भूमि, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नवीन खसरा नम्बर 1705/644 रकबा 1.25 है० के आवंटन आदेश दिनांक 03.03.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)